न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 258/2022

प्रार्थी–

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बद्रीनारायण,
जाति ब्राहम्ण निवासी लाडवा तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण–

01. मुरलीधर पुत्र श्री बद्रीनारायण,
02. रामेश्वरलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण
जाति ब्राहम्ण निवासी लाडवा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
03. तहसीलदार, रियांबड़ी
04. पटवारी हल्का मेड़ास

आदेश

दिनांक 28/8/24

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ग्राम लाडवा के स्थाई निवासी है, प्रार्थी व अप्रार्थी सगे भाई है निका खेत वाके मौजा लाडवा पटवार हल्का मेड़ास के ख.न. 113 रकबा 0.72 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी का काश्त कब्जासुद आया हुआ है व ख.न. 114 रकबा 0.72 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 1 का व ख.न. 115 रकबा 0.72 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 2 के खातेदारी का आया हुआ है प्रार्थी अपने खेत ख.न. 113 रकबा 0.72 हैक्टेयर में आने–जाने के लिए लाडवा से बड़ायली कट्टाणी मार्ग से होकर अप्रार्थी संख्या 2 के खेत ख.न. 115 रकबा 0.72 हैक्टेयर की पूर्वी माठ के सारे–सारे होकर आगे अप्रार्थीगण संख्या 1 के ख.न. 114 रकबा 0.72 हैक्टेयर की पूर्व माठ के सारे–सारे सामलाति ख.न. 111 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु.बेरा के पास होकर अपने खेत में आता–जाता है जिसके लिए आन–जाने के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता मौजुद नहीं है। अपने खेत ख.न. 113 में आने–जाने के लिए लाडवा से बड़ायली कट्टाणी मार्ग से होकर अप्रार्थी संख्या 2 के खेत ख.न. 115 रकबा 0.72 हैक्टेयर की पूर्वी माठ के सारे–सारे होकर आगे अप्रार्थीगण संख्या 1 के ख.न. 114 रकबा 0.72 हैक्टेयर की पूर्व माठ के सारे–सारे सामलाति ख.न. 111 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै.मु.बेरा के पास होकर अपने खेत में आता–जाता है जिसकी मांग हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है व रास्ते की किमत राज्य सरकार द्वारा देय प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण को वास्ते जांच हेतु तहसीलदार रियांबडी की भिजवाया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया व अप्रार्थीगण संख्या 2 ने जवाब पेश नहीं किया। बल्कि तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसमें 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु रिपोर्ट बनाई गई जिसमें ख.न. 115 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 80 वर्गमीटर लम्बा व 3.65 वर्गमीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0292 हैक्टेयर व ख.न. 114 में से 147 वर्गमीटर लम्बा व 3.65 वर्गमीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0536 हैक्टेयर भूमि कट्टाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत ख.न. 113 में जाने के लिए कुल भूमि बनती है एवं तहसीलदार ने 30 फुट चौड़ा रास्ता की भूमि का माप दिया गया है परंतु प्रार्थी के खेत तक आने–जाने के लिए 12 फुट रास्ता उचित है तहसीलदार रियाबडी ने अपनी जांच रिपोट में अवगत करवाया गया कि ख.न. 115 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 80 वर्गमीटर लम्बा व 3.65 वर्गमीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0292 हैक्टेयर व ख.न. 114 में से 147 वर्गमीटर लम्बा व 3.65 वर्गमीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0536 हैक्टेयर भूमि कट्टाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत ख.न. 113 में जाने के लिए कुल भूमि बनती है। वकील प्रार्थीगण संख्या 2 ने अपने लिखित बहस पेश की।

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला–नागौर

प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट व अप्रार्थीगण संख्या द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकुलाय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 ने लिखित बहस में कथन किया की मौके पर रास्ता आने–जाने के लिए मौजुद है इसलिए रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोर्ट व सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी को मौजा लाडवा की सरहद मे स्थित खेत ख.न. 115 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 80 वर्गमीटर लम्बा व 3.65 वर्गमीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0292 हैक्टेयर व ख.न. 114 में से 147 वर्गमीटर लम्बा व 3.65 वर्गमीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0536 हैक्टेयर भूमि कट्टाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत ख.न. 113 में आने–जाने के लिए तहसीलदार रियांबड़ी की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी की मौका रिपोट आदेश का भाग समझा जावें। प्रभावित खसरान व रकबा निम्नानुसार है:

क्र सं	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ता हेतु मांग किये गये ख. नं.	प्रस्तावित ख. न. का रकबा हैक्टेयर	रास्ता हेतु काम आने वाला रास्ता प्रस्तावित रकबा ल X चौ	रकबा रास्ता हेतु हैक्टर में
1	रामेश्वरलाल पुत्र श्री बदरीनारायण जाति ब्राहम्ण	115	0.72	80 मी X 3.65 मी	0.0292
2	मुरलीधर पुत्र श्री बदरीनारायण जाति ब्राहम्ण	114	0.72	147 मी X 3.65 मी	0.0536

प्रार्थी तहसीलदार रियाबडी कार्यालय में उक्त कृषि भूमि के प्रभावित रकबे की डीएलसी दर की दोगुनी दर की राशि जमा करवाये। तहसीलदार रियांबडी उक्त राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को अदा करावें। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार रियांबडी उक्त रास्ते को राज्य सरकार के हक मे दर्ज करते हुवे किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकर्ड व नक्शें में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दूरस्त करे व आदेश की पालना करे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर